Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

कार्यालय
उत्तराखण्ड वक़्फ़ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून 248001

पत्रांक :– 680 /लीज।005 /2026–27 दिनांक –3 अक्टूबर, 2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वक्फ संख्या 218, जनपद हरिद्वार अंतर्गत वक्फ दरगाह हजरत रूकनूद्दीन शाह रह० एवं वक्फ जामा मस्जिद की कृषि योग्य आराजी, जो वर्तमान में रिक्त है, को वक्फ सम्पत्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित 2020) के प्रावधानों के अंतर्गत 11 माह की अवधि (स्वीकृति आदेश से 11 माह तक) हेतु अस्थायी रूप से सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त आराजी के अस्थायी आवंटन हेतु आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।

नीलामी से संबंधित विवरण निम्नवत है :–

वक्फ का नाम	:– वक्फ दरगाह हजरत रूकनूद्दीन शाह रह० एवं वक्फ जामा मस्जिद
वक्फ संख्या	:– 218, जनपद हरिद्वार
भूमि का प्रकार	:– कृषि योग्य आराजी
आवंटन अवधि	:– 11 माह (स्वीकृति आदेश से 11 माह तक की अवधि हेतु)
नीलामी की तिथि	:– 17 नवम्बर 2026
समय	:– अपराहन 1.30 बजे

स्थान :– कार्यालय, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून।

सुरक्षा धनराशि/जमानत राशि – ₹ 20000-00 (नीलामी में भाग लेने हेतु अनिवार्य) नकद। नीलाम तिथि को अपराहन 1.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाने वाले पात्र व्यक्ति को नियमानुसार उक्त भूमि का अस्थायी आवंटन किया जाएगा। नीलामी से संबंधित विस्तृत शर्तें नीलामी स्थल पर उपलब्ध रहेंगी, एव इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड की वैबसाईट https://uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in/ से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त बोलियों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह विज्ञप्ति व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जारी की जाती है।

(अध्यक्ष)
नीलाम समिति

प्रष्ठांकन 680/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य कार्यपालाक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
2. उपजिलाधिकारी भगवानपुर को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मौअज्जिन, वक्फ जामा मस्जिद, सिकरोढा को इस निर्देशों के साथ कि वह उक्त सूचना वक्फ स्थल के मुख्य गेट, पर चस्पा कर एवं नीलाम सम्बन्धी मुनादी मस्जिद के माईक से प्रतिदिन करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित पटल सहायक, को उक्त सूचना वक्फ बोर्ड/निदेशालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्पादक महोदय, दैनिक शाह टाईम्स, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापन अपने अग्रिम प्रकाशन में 12X14 के कॉलम में राजकीय स्वीकृत दरों पर प्रकाशित कर, दो प्रतियों सहित बिल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. सदस्यगण नीलाम समिति।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(अध्यक्ष)

Scanned with OKEN Scanner

Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

कार्यालय
उत्तराखण्ड वक्फ़ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून 248001

सार्वजनिक सूचना / चस्पा नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वक्फ संख्या 218, जनपद हरिद्वार अंतर्गत वक्फ दरगाह हजरत रूकनूद्दीन शाह रह० एवं वक्फ जामा मस्जिद की कृषि योग्य आराजी, जो वर्तमान में रिक्त है, को वक्फ सम्पत्ति पट्टा नियमावली, 2014 (यथासंशोधित 2020) के नियम संख्या 04 के अंतर्गत 11 माह की अवधि (स्वीकृति आदेश से 11 माह तक क अवधि हेतु) हेतु सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।

क0 स0	विवरण वक्फ सम्पत्ति	खतौनी संख्या	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल है0	कुल एरिया क्षे0 है0	कुल बीघा	प्रस्तावित न्यूनतम राशि।
01.	मिलक मौसूमा पनघट।	365 358	1836/1 10.244 1836/2 5.203	15.447 है0	205.41	3.00 लाख
02.	मिलक मौसूमा ढाबा दरगाह।	364	832/1 0.195 834/1 0.031 908/1 5.367 968/1.2 0.246 990म/3 0.184	6.023 है0	80.09	4.50 लाख
03.	मिलक सूखी हाफिज इसहाक वाली।	160	922/1	0.645 है0	8.57	45,000
04.	मिलक मौसूमा मूंढा सतीवाली।	483	521	0.994 है0	13.21	85,000
05.	आम बाग।	483	449	0.973 है0	12.93	25,000

नीलामी का विवरण निम्नवत है :–

नीलामी की तिथि :– 17.11.2026

समय :– अपराहन 1.30 बजे।

स्थान :– कार्यालय, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून।

नीलामी से संबंधित विस्तृत शर्तें नीलामी स्थल पर उपलब्ध रहेंगी, एव इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड की वैबसाईट https://uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in/ से डाउनलोड की जा सकती है।

नोट :– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त बोलियों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष
नीला समिति

Scanned with OKEN Scanner

Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

कार्यालय
उत्तराखण्ड वक़्फ़ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून 248001
वक्फ स0 218 जिला हरिद्वार की कृषि भूमि की सार्वजनिक नीलामी की विस्तृत शर्तें

नीलाम समिति द्वारा निम्न कृषि भूमि की सार्वजनिक नीलामी हेतु निम्न शर्ते समिति द्वारा स्वीकृत की गईः–

क0 स0	विवरण वक्फ सम्पत्ति	खतौनी संख्या	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल है0	कुल एरिया क्षे0 है0	कुल बीघा	प्रस्तावित न्यूनतम राशि।
01.	मिलक मौसूमा पनघट।	365 358	1836/1 10.244 1836/2 5.203	15.447 है0	205.41	3लाख
02.	मिलक मौसूमा ढाबा दरगाह।	364	832/1 0.195 834/1 0.031 908/1 5.367 968/1.2 0.246 990म/3 0.184	6.023 है0	80.09	4.50 लाख
03.	मिलक सूखी हाफिज इसहाक वाली।	160	922/1	0.645 है0	8.57	45,000
04.	मिलक मौसूमा मूंढा सतीवाली।	483	521	0.994 है0	13.21	85,000
05.	आम बाग। एक फसल।	483	449	0.973 है0	12.93	25,000

1. उक्त आराजी का आवंटन वक्फ सम्पत्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित 2020) के अंतर्गत 11 माह की अवधि (स्वीकृति आदेश से 11 माह की अवधि तक) के लिए अस्थायी रूप से किया जाएगा।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रत्येक आराजी हेतु जमानत धनराशि रू0 20000.00 बीस हजार (Security Money /Earnest Money) नकद/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी। जमानत राशि जमा किये बिना किसी को नीलामी में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिचय पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा तथा नीलामी रजिस्टर में अपना नाम, पता एवं हस्ताक्षर एवं मोबाईल संख्या अंकित करना होगा।
4. नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया सफल बोलीदाता माना जाएगा, किन्तु अंतिम स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी/उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदान किये जाने के पश्चात ही आवंटन प्रभावी होगा।
5. सफल बोलीदाता को नीलामी समाप्ति के तुरंत पश्चात कुल बोली राशि का कम से कम 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि निर्धारित समयावधि (90 दिवस) के भीतर जमा करनी होगी।
6. यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समयावधि में शेष धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि एवं जमा अग्रिम 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा उक्त भूमि पुनः नीलामी हेतु प्रस्तुत की जा सकती है।
7. आवंटित भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतु किया जाएगा। भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. आवंटी उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को उप–लीज, किराये, साझेदारी अथवा किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।
9. आवंटन अवधि समाप्त होने पर आवंटी को भूमि निर्विवाद एवं रिक्त अवस्था में वक्फ बोर्ड/प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द करनी होगी।
10. यदि आवंटी द्वारा भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण, अतिक्रमण या नियमों के विपरीत उपयोग किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवंटन तत्काल निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. आवंटन अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का राजस्व, कर, जलकर अथवा अन्य देयता (यदि लागू हो) आवंटी द्वारा वहन की जाएगी।
12. नीलामी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर नीलामी अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
13. नीलामी से संबंधित समस्त कार्यवाही नीलामी कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की जाएगी तथा उपस्थित अधिकारियों एवं सफल बोलीदाता के हस्ताक्षर लिये जाएंगे।
14. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा गलत जानकारी दी गई है या किसी प्रकार की अनियमितता/षड्यंत्र किया गया है, तो उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी तथा जमा धनराशि जब्त की जा सकती है।
15. सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त बोलियों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. उक्त सार्वजनिक नीलामी के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम की जामा मस्जिद से ऐलान/नोटिस चस्पा/एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा, एवं एक सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।
17. उक्त सार्वजनिक नीलामी हेतु दिनांक 17 नवम्बर 2026 नियत की जाती है।

(अध्यक्ष)
नीलाम समिति

Scanned with OKEN Scanner